न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री तेजसिंह पिता स्व. लालसिंह जी राजपूत निवासी वियाल तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री सोहनसिंह पिता स्व. लालसिंह जी राजपूत निवासी वियाल तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री तख्तसिंह पिता स्व. लालसिंह जी राजपूत निवासी वियाल तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री इन्द्रसिंह पिता स्व. लालसिंह जी राजपूत निवासी वियाल तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री मनोहरसिंह पिता स्व. लालसिंह जी राजपूत निवासी वियाल तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)
6. श्रीमती कमला कुंवर पित स्व. लालसिंह जी धर्मपत्नी हमेरसिंह जी राजपूत निवासी झालों का गुड़ा तहसील बड़गांव जिला उदयपुर

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता स्व. भेरा जी राजपूत निवासी वियाल तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा दिनांक 29–6–2016 प्रकरण
संख्या 200–2015 प्रार्थना पत्र

———

उपस्थित :–1– श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री गोरधनलाल बारबर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

———/———

निर्णय **दिनांक 17–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध धारा–53 एवं 188 का वाद पेश करते हुए निवेदन किया कि ग्राम वियाल में वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित कूल आराजीयात किता–12 रकबा 1.99 हैक्टर वादी व प्रतिवादी संख्या–1 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजीत आराजीयात है। उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवाड़ा करवा कर स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 की उपस्थिति में दिनांक 29–6–2016 को प्रकरण को प्रारम्भिक डिक्री सहमति से किया गया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–8–2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री गोरधन लाल बारबर ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता औपचारिक पक्षकार के रूप में उपथित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अपीलान्ट संख्या– 1 व 2 ने दिनांक 11–1–2016 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थिति दी तथा न्यायालय द्वारा जवाबदावे की लिए मौका दिया गया, वहीं दौराने प्रशासन गांव के संग अभियान 2016 (लोक अदालत) में उक्त प्रकरण दिनांक 29–6–2016 को रखा गया जिसमें अपीलान्ट संख्या–2 भी सूचना पत्र प्राप्त होने के कारण उपस्थित हुआ, परन्तु उसने सहमति नहीं दी। उसने अवगत करवाया कि भूमियों का पूर्व में विभाजन मौतबिरान की उपस्थिति में हो चुका है तथा उसने सिर्फ उपस्थिति के हस्ताक्षर किये तथा उसे कहा गया कि विभाजन के आदेश आज नहीं किये जा रहे है। कुछ

समय बाद पटवारी ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु बताया तब उन्हें विभाजन के आदेश की जानकारी हुई। प्रकरण में पक्षकारान को सुने बिना, बिना सहमति लोक अदालत में विभाजन का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाना त्रुटिपूर्ण एवं अविधिक है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में यह स्थिति सुस्पष्ट है कि सभी पक्षकारान की तलबी बाबत भी आदेश नहीं हुए है तथा उपस्थित पक्षकारान प्रतिवादी अपीलान्ट भी जवाब के लिए मौका चाहते थे। लोक अदालत के लिए सभी पक्षकारान को सुचित किये बिना तथा बिना सबकी सहमति अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी जाना प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर